# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852


पत्रांक : 01 / यो0ब0–19 / 2018– 374 दिनांक :– 02.07.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा वन प्रमंडल / देवघर वन प्रमंडल /
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2024–25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल **रू0 8.016 लाख (आठ लाख एक हजार छः सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:–** वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–09 / 2018–40 व0प0 दिनांक–24.12.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या–04 / यो0 बजट–25 / 2020–08 / आ0 व0प0 दिनांक–23.06.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 8.016 लाख (आठ लाख एक हजार छः सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S24060178959010103 | 7.392 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060178959010323 | 0.624 |
| कुल :– | | **8.016** |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** एवं ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060178959010103 तथा 19S24060178959010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वियन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वियनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वियन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

**14.** योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

**15.** इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

**16**(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

**17.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**18.** वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

**19.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–19/2018–** 374 **दिनांक–** 02.07.2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/देवघर/चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची/पी0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–19/2018–** 374 **दिनांक–** 02.07.2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/देवघर/चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में) | यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 यूनिट) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | | 5687.19 | 479.90 | 6167.09 |
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| 1 | गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा | 5.00 | 50.00 | 2.843 | 0.240 | 3.083 |
| 2 | देवघर वन प्रमंडल, देवघर | 5.00 | 50.00 | 2.843 | 0.240 | 3.083 |
| 3 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 3.00 | 30.00 | 1.706 | 0.144 | 1.850 |
| योग :– | | **13.00** | **130.00** | **7.392** | **0.624** | **8.016** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

# नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

| | | |
|---|---|---|
| पौधों की संख्या प्रति यूनिट | 300 | |
| पौधो की दूरी | 2mx3m | |
| 1 यूनिट का परिमाप | 2000 m2 | **100*20** |
| 1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई | 240m | |
| मजदूरी दर प्रति मानव दिवस | 326.85 | रुपये |

| क. सं. | कार्य का विवरणी | इकाई प्रति | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| A | वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 326.85 | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | प्रति इकाई | 4.2 | 1372.77 | | 1372.77 |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि) | प्रति इकाई | 0 | 0.00 | 204.90 | 204.90 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | प्रति इकाई | 12.00 | 3922.20 | | 3922.20 |
| 4 | घेरान की मरम्मत | प्रति इकाई | 1.20 | 392.22 | 275.00 | 667.22 |
| | कुलः– | | **17.4** | **5687.19** | **479.90** | **6167.09** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018-1/374 दिनांक - 02-Jul-2022

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 24060178959010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 33801 | GDDFOR164<br>PATRUNI RAJENDRA NAIDU<br>DFO GODDA FOREST DIVISION<br>03 - मजदूरी | 284,300.00<br>रुपये दो लाख चौरासी हजार तीन सौ |
| 2 | S 19 24060178959010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 33802 | DGRFORE88<br>RAJ KUMAR SAH<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.<br>03 - मजदूरी | 284,300.00<br>रुपये दो लाख चौरासी हजार तीन सौ |
| 3 | S 19 24060178959010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 33803 | CTRFOR003<br>SURENDRA PRASAD SUMAN<br>D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA<br>03 - मजदूरी | 170,600.00<br>रुपये एक लाख सत्तर हजार छः सौ |

योग: रुपये सात लाख उनचालीस हजार दो सौ 739,200.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI



Run Date: 2/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018-1/374 दिनांक - 02-Jul-2022

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 24060178959010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 33804 | GDDFOR164<br>PATRUNI RAJENDRA NAIDU<br>DFO GODDA FOREST DIVISION<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 24,000.00<br>रुपये चौइस हजार |
| 5 | S 19 24060178959010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 33805 | DGRFORE88<br>RAJ KUMAR SAH<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 24,000.00<br>रुपये चौइस हजार |
| 6 | S 19 24060178959010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 33806 | CTRFOR003<br>SURENDRA PRASAD SUMAN<br>D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 14,400.00<br>रुपये चौदह हजार चार सौ |

योग: 62,400.00

क्रमिक योग: रुपये आठ लाख एक हजार छः सौ 801,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/7/2022